



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30122024-259718
CG-DL-E-30122024-259718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1029]
No. 1029]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2024/पौष 3, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 2024

सं. आरजी-13/1/(1)/2023-एडीवी_एफईए-I.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित आदेश करता है, नामतः -

दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024
(2024 का 2)

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ:-

- (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के बाद लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 2 में -

- उप-खण्ड (da) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पैसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- उप-खण्ड (ma) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पैसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

टिप्पणी 1. – दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, दिनांक 09 मार्च, 1999, अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

संशोधन सं.	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1ला	301-4/99-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 30.03.1999
2रा	301-4/99-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 31.05.1999
3रा	301-4/99-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 31.05.1999
4था	301-4/99-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 28.07.1999
5वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 17.09.1999
6वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 30.09.1999
7वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 30.03.2000
8वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 31.07.2000
9वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 28.08.2000
10वां	306-1/99-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 09.11.2000
11 वां	310-1(5)/भादूविप्रा -2000 दिनांक 25.01.2001
12 वां	301-9/2000-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 25.01.2001
13 वां	303-4/भादूविप्रा -2001 दिनांक 01.05.2001
14 वां	306-2/भादूविप्रा -2001 दिनांक 24.05.2001
15 वां	310-1(5)/भादूविप्रा -2000 दिनांक 20.07.2001
16 वां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा (ईकाँन)दिनांक 14.08.2001
17 वां	301/2/2002-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 22.01.2002
18 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 30.01.2002
19 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-भादूविप्रा (ईकाँन) 14.03.2002
21 वां	301-6/2002-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 13.06.2002
22 वां	312-5/2002-भादूविप्रा (इको) दिनांक 04.07.2002
23 वां	303/8/2002-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 06.09.2002
24 वां	306-2/2003-इकाँन दिनांक 24.01.2003
25 वां	306-2/2003-इकाँन दिनांक 12.03.2003
26 वां	306-2/2003-इकाँन दिनांक 27.03.2003
27 वां	303/6/2003-भादूविप्रा (ईकाँन) दिनांक 25.04.2003
28 वां	301-51/2003-इकाँन दिनांक 05.11.2003
29 वां	301-56/2003-इकाँन दिनांक 03.12.2003

30 वां	301-4/2004(ईकॉन) दिनांक 16.01.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 07.07.2004
32 वां	301-37/2004-ईको दिनांक 07.10.2004
33 वां	301-31/2004-ईको दिनांक 08.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.03.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.03.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.04.2005
37 वां	312-7/2003-ईको दिनांक 02.05.2005
38 वां	312-7/2003-ईको दिनांक 02.06.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 08.09.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.09.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-ईको दिनांक 07.03.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.03.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-ईको दिनांक 05.06.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.03.2008
48 वां	301-31/2007-ईको दिनांक 01.09.2008
49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.04.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 20.04.2012
52 वां	301-41/2012-एफ&ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ&ईए दिनांक 01.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ&ईए दिनांक 05.11.2012
55 वां	301-10/2012-एफ&ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ&ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013-एफ&ईए दिनांक 01.08.2014
59 वां	310-5 (2)/2013-एफ&ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ&ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ&ईए दिनांक 22.11.2016

62 वां	301-30/2016-एफ&ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ&ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ&ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ&ईए दिनांक 03.06.2020
66 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
67 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022
68 वां	सी/(5)/2021-एफईए-II दिनांक 07.04.2022
69 वां	सी/(2)/2021-एफईए-I दिनांक 06.12.2022

टिप्पणी 2- व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या किया गया है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

क) प्रस्तावना और पृष्ठभूमि:

1. प्राधिकरण ने सितंबर 2022 से नवंबर 2022 के बीच दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और संबंधित मुद्दों के संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य निम्न को समझना था:
 - वास्तव में टैरिफ के विकास पर उपभोक्ताओं की राय।
 - टैरिफ आदेश में शामिल उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की प्रभावशीलता।
 - टैरिफ ऑफ़र के प्रकाशन में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा दिए गए विज्ञापन में पारदर्शिता ढांचे की प्रभावशीलता।
2. भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं, टीएसपी, संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया। यह पत्र विशेष रूप से वाउचर की वैधता को संबोधित करता है, विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचर (सीवी) पर वर्तमान 90 दिनों की सीमा की समीक्षा करने की आवश्यकता का पता लगाता है और यह मूल्यांकन करता है कि क्या विशिष्ट उपभोक्ता खंड एसटीवी और सीवी के लिए विस्तारित वैधता से लाभान्वित हो सकते हैं।

ख) हितधारकों से प्राप्त जवाब:

1. परामर्श पत्र के जवाब में एसोसिएशनों, टीएसपी, व्यक्तियों और उपभोक्ता समूहों का प्रतिनिधित्व करने वालों से कुल 41 टिप्पणियाँ और 5 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ये टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को एक ऑनलाइन खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था। खुला मंच चर्चा (ओएचडी) के पश्चात कुछ अतिरिक्त फीडबैक भी प्राप्त हुए।
2. एसटीवी और कॉम्बो वाउचर की वैधता बढ़ाने के मुद्दे पर, अधिकांशतः हितधारकों ने मौजूदा 90 दिनों से आगे की सीमा बढ़ाने का समर्थन किया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने तर्क दिया कि विकसित हो रहे दूरसंचार परिदृश्य को देखते हुए 90-दिन की सीमा पुरानी हो चुकी है, और कई स्टैकहोल्डर्स इस बात पर सहमत थे कि लंबी वैधता से उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज करवाने से राहत मिलेगी।

हितधारकों के विचारों और मौजूदा प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात, जो डेटा-ओनली पैक को 365 दिनों तक की वैधता की अनुमति देता है, प्राधिकरण का विचार है कि एसटीवी और सीवी के लिए वैधता सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन किया जाए। 365 दिनों तक की लंबी अवधि के रिचार्ज से बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तथापि, सेवा प्रदाता यदि चाहें तो कम वैधता वाले पैक पेश करने का विकल्प यथावत रख सकते हैं।

अस्वीकरण: यह दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 का हिंदी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 मान्य होगा।

विजय कुमार, सलाहकार

[विज्ञापन-III/4/असा./846/2024-25]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd December, 2024

No. RG-13/1/(1)/2023-ADV_FEA-I. —In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SEVENTIETH AMENDMENT) ORDER, 2024

(2 of 2024)

1. Short title, extent and commencement:

(1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order, 2024.

(2) This Order shall come into force after thirty days from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 –

(i) in sub-clause (da), for the words “ninety days”, the words “three hundred and sixty-five days” shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ma), for the words “ninety days”, the words “three hundred and sixty-five days” shall be substituted.

Note.1. – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 09th March, 1999, and subsequently amended as given below:-

Amendment No.	Notification No. and Date
1st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.03.1999
2nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999
4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.07.1999
5th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.09.1999
6th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.09.1999
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.03.2000
8th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.07.2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.08.2000
10th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 09.11.2000
11th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.01.2001
12th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.01.2001
13th	303-4/TRAI-2001 dated 01.05.2001
14th	306-2/TRAI-2001 dated 24.05.2001
15th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.07.2001
16th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ)dated 14.08.2001

17th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.01.2002
18th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.01.2002
19th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.02.2002
20th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.03.2002
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.06.2002
22nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 04.07.2002
23rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 06.09.2002
24th	306-2/2003-Econ dated 24.01.2003
25th	306-2/2003-Econ dated 12.03.2003
26th	306-2/2003-Econ dated 27.03.2003
27th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.04.2003
28th	301-51/2003-Econ dated 05.11.2003
29th	301-56/2003-Econ dated 03.12.2003
30th	301-4/2004(Econ) dated 16.01.2004
31st	301-2/2004-Eco dated 07.07.2004
32nd	301-37/2004-Eco dated 07.10.2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 08.12.2004
34th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.03.2005
35th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.03.2005
36th	312-7/2003-Eco dated 21.04.2005
37th	312-7/2003-Eco dated 02.05.2005
38th	312-7/2003-Eco dated 02.06.2005
39th	310-3(1)/2003-Eco dated 08.09.2005
40th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.09.2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42nd	301-34/2005-Eco dated 07.03.2006
43rd	301-2/2006-Eco dated 21.03.2006
44th	301-34/2006-Eco dated 24.01.2007
45th	301-18/2007-Eco dated 05.06.2007
46th	301-36/2007-Eco dated 24.01.2008
47th	301-14/2008-Eco dated 17.03.2008
48th	301-31/2007-Eco dated 01.09.2008
49th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50th	301-24/2012-ER dated 19.04.2012
51st	301-26/2011-ER dated 20.04.2012
52nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53rd	301-39/2012-F&EA dated 01.10.2012
54th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013

57th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58th	312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014
59th	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60th	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61st	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62nd	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63rd	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018
64th	301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018
65th	301-03/2020-F&EA dated 03.06.2020
66th	C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 27.01.2022
67th	C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 31.03.2022
68th	C/(5)/2021-FEA-II dated 07.04.2022
69th	C/(2)/2021-FEA-I dated 06.12.2022

Note 2.— The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order, 2024.

EXPLANATORY MEMORANDUM

A) Introduction and Background:

1. The Authority had conducted a Consumer Survey between September 2022 to November 2022, in respect of Tariffs of Telecommunication Services and related issues with the objective to understand:
 - the consumer views on evolution of tariffs per se;
 - the efficacy of consumer protection regulations included in the Tariff Order;
 - the efficacy of transparency framework in publishing of tariff offers in advertisement given by the Telecom Service Provider (TSP).
2. Based on feedback from consumers, TSPs, associations, and other stakeholders, TRAI released a consultation paper on July 26, 2024, to review the Telecom Consumer Protection Regulations (TCPR), 2012. The said paper specifically addresses the validity of vouchers, exploring the need to review the current ninety (90) day cap on Special Tariff Vouchers (STV) and Combo Vouchers (CV) and to assess if specific consumer segments might benefit from extended validity for STVs and CVs.

B) Response from the stakeholders:

1. A total of 41 comments and 5 counter-comments were received in response to the consultation paper, representing associations, TSPs, individuals, and consumer groups. These comments are publicly accessible on the TRAI website. An online Open House Discussion (OHD) was held on October 21, 2024, with participation from various stakeholders. Additional feedbacks were also received after the OHD.
2. On the issue of extending the validity of STV and CV, most stakeholders favoured extending the cap beyond the current ninety (90) days. TSPs argued that the ninety (90) day cap is outdated given the evolving telecom landscape, and many agreed that longer validity would save consumers from frequent recharges.

After considering views of stakeholders and the existing provisions that allows data-only packs, the Authority has decided to extend the validity cap for STV and CV from ninety (90) days to three hundred and sixty-five (365) days. The longer duration recharges of up to three hundred and sixty-five (365) days will obviate the need of frequent recharges. However, service providers may offer shorter validity packs, if desired.

VIJAY KUMAR, Advisor (F&EA)

[ADVT.-III/4/Exty./846/2024-25]